NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

**Pioneer, Online News, 12/01/2026**

## Source: [https://dailypioneer.com/news/restoring-ethics-in-indian-healthcare-a-call-to-action](https://dailypioneer.com/news/restoring-ethics-in-indian-healthcare-a-call-to-action)

Restoring Ethics in Indian Healthcare: A Call to Action

By Richard Hay

India's healthcare system, historically rooted in compassion and service, is today confronting a profound ethical challenge. Medical colleges and hospitals, once regarded as sanctuaries of healing, are increasingly perceived as centres of commercial exploitation, where profit frequently takes precedence over patient welfare.

At the heart of medical practice lies the Hippocratic Oath, which obliges doctors to act in the patient's best interest — to heal, not harm. Yet, in an era of aggressive commercialisation, this foundational principle is being steadily undermined. Treatment decisions are often swayed more by financial incentives than by medical necessity.

Hospitals are coming to resemble corporate enterprises, where patients are viewed as revenue sources rather than human beings in need of care. Excessive diagnostics, inflated bills, and avoidable procedures have become distressingly commonplace, eroding the trust that once formed the cornerstone of the doctor–patient relationship.Equally troubling is the growing nexus between hospitals and insurance companies.

This alliance frequently works against patients, particularly those from poor and middle-class backgrounds, who find themselves caught between delayed approvals, denied claims, and escalating costs. Healthcare must never become a battlefield in which the vulnerable are the first casualties.

Another pressing concern is the circulation of spurious and unnecessary medicines, prescribed not for the patient's benefit but for commercial gain. This practice endangers public health and demands urgent regulatory attention.Institutions such as the National Medical Commission, NABH, and State Medical Councils were established to maintain standards and ensure accountability. Yet, their operations often appear procedural rather than principled.

Accreditation alone cannot substitute for ethical governance. When oversight bodies fail to act decisively, public confidence inevitably deteriorates. Even institutions like the National and State Human Rights Commissions must reflect on their role; delayed or muted responses to cases of medical exploitation deepen public despair and weaken trust in democratic safeguards.

Healthcare is not a privilege; it is a fundamental responsibility of the State. The Government of India, alongside state authorities, must act decisively to restore ethical discipline within the medical profession.

Stronger legislation, transparent oversight, and unwavering accountability are no longer optional—they are essential.India's medical community has long been celebrated for its skill and dedication. It is time to reclaim that legacy by placing ethics, empathy, and human dignity at the heart of healthcare. The silence of regulatory bodies in this matter is nothing short of a betrayal of public trust.

We urge the Government of India and the National Human Rights Commission to:Audit the nexus between pharmaceutical companies and hospital prescriptions.Enforce a legally binding "Patient's Bill of Rights," prominently displayed in every medical facility.Establish independent grievance cells to handle cases of medical exploitation swiftly and transparently.Policy-makers must move beyond procedural accreditation and implement principled governance. Only then can the dignity of the Indian medical profession be restored before public trust is irrevocably lost.

The writer is a former Member of Parliament; views are personal

## Source: [https://www.telegraphindia.com/amp/west-bengal/kolkata/judiciary-must-stand-up-to-executive-ex-judge-justice-muralidhar-at-sarat-bose-lecture-prnt/cid/2142101](https://www.telegraphindia.com/amp/west-bengal/kolkata/judiciary-must-stand-up-to-executive-ex-judge-justice-muralidhar-at-sarat-bose-lecture-prnt/cid/2142101)

Judiciary must stand up to executive: Ex-judge, Justice Muralidhar at Sarat Bose lecture

Justice Muralidhar has worked with victims of the Bhopal gas tragedy, prisoners on death row, and the National Human Rights Commission
Debraj Mitra
Published 11.01.26, 07:09 AM
The Indian judiciary has so far rebuffed attempts by the legislature to curb its independence, but has lately not shown the same degree of confidence in standing up to a powerful executive, a former judge unafraid of speaking truth to power said on Saturday.
"The judiciary has, until now, rebuffed attempts by the legislature to whittle down its powers or its independence. One cannot say that the judiciary has shown the same degree of confidence in standing up to a powerful executive. It appears that the last time it happened was more than five decades ago in 1973 (the landmark Kesavananda Bharati v. State of Kerala case, where the Supreme Court ruled that Parliament could not alter the Constitution's basic structure)" said Justice (Dr) S. Muralidhar (retired), former chief justice of Orissa High Court and former judge of Delhi High Court.
He delivered the annual Sarat Bose Lecture at Netaji Bhawan. The 90-minute address offered an exhaustive analysis of the relationship between the legislature, executive, and judiciary.
Justice Muralidhar has worked with victims of the Bhopal gas tragedy, prisoners on death row, and the National Human Rights Commission. He is also chair of the
United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) and Israel.
He had made headlines following his midnight transfer from Delhi High Court to Punjab and Haryana High Court after he ordered Delhi Police to file FIRs against some BJP leaders for hate speeches ahead of the Delhi riots in February 2020.
At Netaji Bhawan, he criticised the judiciary's role in the recent regime changes in states such as Karnataka (2019), Madhya Pradesh (2020), and Maharashtra (2022).
"The court becomes a very important political actor. The court is deciding when a floor test is to be held.... It refuses to take notice of the brazen subversion and actually plays along in bringing about regime changes that were all pre-determined," he said.
He also described as a threat to federalism the reluctance of governors in Opposition-ruled states to give assent to bills passed by state legislatures. "This, too, needed judicial intervention. We need the judiciary to be strong, consistent, independent and free from pressures of all kinds," he said.
Justice Muralidhar explained why a common argument, often made by legislators, on judicial overreach is flawed.
"Every now and then, we hear politicians being vocal about an unelected judiciary being able to overturn laws passed by a sizeable majority in the legislature. This happens at the instance of an individual or a group. But that is the beauty of our Constitution. It does not envisage a democracy that is merely majoritarian but one which accommodates differences, diversity, plurality and is inclusive," he said.
Historian Sugata Bose and political scientist Sumantra Bose — grandsons of Sarat Bose, barrister, freedom fighter

and elder brother of Netaji Subhas Chandra Bose — hosted the lecture. Sugata Bose called it “befitting” the legacy of his grandfather.

**Source: [https://www.amritvichar.com/article/567193/farman-mian-has-secured-a-place-on-the-forbes-list--joining-jasprit-bumrah-and-ananya-panday-on-the-prestigious-roster#gsc.tab=0](https://www.amritvichar.com/article/567193/farman-mian-has-secured-a-place-on-the-forbes-list--joining-jasprit-bumrah-and-ananya-panday-on-the-prestigious-roster#gsc.tab=0)**

Bareilly: फोर्ब्स की सूची में फरमान मियां को मिली जगह, जसप्रीत बुमराह, अनन्या पाण्डेय संग फेहरिस्त से जुड़े

Published By Monis Khan | On 11 Jan 2026 13:03:31

बरेली, अमृत विचार। काजी-ए-हिंदुस्तान के दामाद और आला हजरत दरगाह से जुड़े संगठन जमात रजा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान मियां के सेवाभाव पर अब फोर्ब्स ने भी मुहर लगा दी है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 इंडिया–2026 की सूची में उनका नाम दर्ज किया गया है। इसी के साथ वह अनन्या पाण्डेय, सैंयारा फेम अनीता पड्डा, लक्ष्य लालवानी की फेहरिस्त से भी जुड़ गए।

दरअसल जमात रजा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव और आला हजरत ताजुश्शरिया वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक के तौर पर फरमान मियां लंबे समय से समाज सेवा के कामों में लगे हैं। फोर्ब्स की इस सूची में भी उन्हें को समाज और लोगों की जिंदगी में बेहतर बदलाव लाने वाला बताया गया। उनके मुफ्त चिकित्सा कार्यक्रम, मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन, जरूरतमंद युवाओं और महिलाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम जैसे उनके कार्यों को सराहा गया है। खास तौर से वह मेडिकल क्षेत्र में भविष्य बनाने वाले छात्रों के लिए नीट की तैयारी को लेकर जागरूकता फैलाते रहे हैं। फोर्ब्स की इस सूची में अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी, सैयारा फेम अनीत पड्डा, लक्ष्य लालवानी और खेल जगत से जसप्रीत बुमराह जैसे चर्चित नाम भी शामिल हैं।

इससे पहले भारत सरकार ने साल 2023 में उन्हें भारत गौरव रत्न से सम्मानित किया था। टीबी-मुक्त भारत अभियान में योगदान के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उनकी भूमिका की सराहना की थी। महिला अधिकारों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी उनके प्रयासों को मान्यता दी। इसके अलावा कर्नाटक की भारत यूनिवर्सिटी से मिली मानद डॉक्टरेट ने उनकी पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत किया।

## Source: [https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/bareilly/news/bareillys-farman-mian-in-forbes-30-under-30-136915759.html](https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/bareilly/news/bareillys-farman-mian-in-forbes-30-under-30-136915759.html)

बरेली के फरमान मियां फोर्ब्स 30 अंडर 30 में:सामाजिक बदलाव के मॉडल के लिए मिली पहचान, देशभर में किया नाम रोशन

शशांक राठौर | बरेली 11 घंटे पहले

बरेली के फरमान हसन खान उर्फ फरमान मियां को अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स की प्रतिष्ठित '30 अंडर 30 इंडिया 2026' सूची में शामिल किया गया है। उन्हें यह सम्मान 'सोशल इम्पैक्ट' कैटेगरी में मिला है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले युवा नेतृत्व को पहचान देता है।

यह उपलब्धि न सिर्फ बरेली और उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर किए गए सेवा-आधारित कार्यों को अब वैश्विक मंच पर भी सराहना मिल रही है। इस सूची में फिल्म और खेल जगत के चर्चित नामों के बीच फरमान मियां का चयन उनके सामाजिक कार्यों के व्यापक प्रभाव को रेखांकित करता है।

फरमान मियां इस सूची में शामिल होने वाले पहले मुस्लिम युवा समाजसेवकों में शामिल हैं, जिनके कार्यों को वैश्विक स्तर पर 'गेम-चेंजर' के रूप में देखा गया है।

जमात रज़ा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव और आला हजरत ताजुश्शरिया वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक के रूप में फरमान मियां ने धर्म को पहचान की राजनीति से अलग रखते हुए सामाजिक समाधान का माध्यम बनाया है। उनके नेतृत्व में मुफ्त मेडिकल कैंप, मोतियाबिंद ऑपरेशन, हिप और बायपास जैसी जटिल सर्जरी के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई है।

इसके अलावा उन्होंने महिलाओं और वंचित युवाओं के लिए शिक्षा व कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए हैं और टीबी मुक्त भारत अभियान में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। उनके ये प्रयास अब राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल के रूप में देखे जा रहे हैं।

फरमान मियां के कार्यों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे संस्थानों से औपचारिक मान्यता मिल चुकी है। कर्नाटक स्थित भारत यूनिवर्सिटी से मिली मानद डॉक्टरेट ने उनके सामाजिक योगदान को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। फोर्ब्स ने उन्हें 'इम्पैक्ट', 'स्केलेबिलिटी', 'सिस्टम थिंकिंग' और 'फ्यूचर लीडरशिप' जैसे मानकों पर खरा पाया है।

अब तक बरेली की पहचान मुख्य रूप से आला हजरत दरगाह से जुड़ी धार्मिक विरासत तक सीमित मानी जाती थी। फरमान मियां ने इस पहचान को समकालीन सामाजिक नेतृत्व और जनसेवा से जोड़कर एक नई दिशा देने का काम किया है।

फोर्ब्स की सूची में उनका नाम शामिल होना केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि उस विचारधारा की जीत है, जो मानवता, सेवा और सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि मानती है।

## Source: [https://in.headtopics.com/news/234923792346236106252-78225227](https://in.headtopics.com/news/234923792346236106252-78225227)

भोपाल: नगर निगम गोशाला में मृत मिलीं 6 गायें, बांग्लादेशी घुसपैठियों से गोकशी कराने के आरोप, राजनीति में उबाल

11-01-2026 08:44:00
Bhopal News समाचार
11-01-2026 08:44:00
NBT Hindi News

भोपाल नगर निगम की गउशाला में भूख से तड़पकर छह गायों की मौत हो गई, जबकि चार की हालत गंभीर बनी हुई है। आरोप है कि गायों को चारे में गोबर मिलाकर खिलाया गया। आधी रात को जब हिंदू संगठनों ने धावा बोला, तो वहां शवों को गुपचुप दफनाने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे...

भोपाल: झीलों की नगरी भोपाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी मानवता और आस्था को शर्मसार कर दिया है। नगर निगम की अरवलिया स्थित गोशाला में शुक्रवार की आधी रात जो मंजर दिखा, उसने लोगों की रूह कंपा दी। यहां एक-दो नहीं, बल्कि 6 गोवंश मृत अवस्था में पाए गए। आरोप है कि ये बेजुबान भूख के कारण गोबर मिक्स चारा खाने को मजबूर थे। इस घटना ने न केवल हिंदूवादी संगठनों को सड़क पर उतार दिया है, बल्कि स्लॉटर हाउस कांड के साथ जुड़कर इसे एक भयानक रूप दे दिया है।रात के अंधेरे में दफनाने की थी तैयारी!बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को जब गोशाला में लापरवाही की सूचना मिली, तो वे आधी रात को वहां पहुंचे। गोशाला के गेट पर ताला लटका था, लेकिन जब पुलिस की मौजूदगी में ताला तुड़वाया गया, तो अंदर का दृश्य भयावह था। 6 गायें मर चुकी थीं और 4 तड़प रही थीं। आरोप है कि निगम कर्मियों ने गोशाला के अंदर ही एक बड़ा गड्ढा खोद रखा था ताकि इन मृत गायों को चुपचाप दफनाकर सबूत मिटाए जा सकें। गुस्से में आए कार्यकर्ताओं ने दोषियों को सद्बुद्धि देने के लिए वहीं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया।स्लॉटर हाउस कांड: '650 गायों के वध का शक'इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब पिछले दिनों पकड़ी गई स्लॉटर हाउस की गाड़ी में गोमांस होने की पुष्टि हुई। वरिष्ठ पार्षद योगेंद्र सिंह 'गुड्डू' चौहान ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जितनी मात्रा में मांस मिला है, उससे आशंका है कि 650 से अधिक गायों का वध किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एमआईसी ने बिना परिषद की अनुमति के चुपचाप स्लॉटर हाउस को मंजूरी दे दी, जिसके परिणाम आज सामने आ रहे हैं।प्रियंक कानूनगो का बड़ा दावामामले में सबसे सनसनीखेज मोड़ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के बयान से आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि मुख्य आरोपी असलम के विरुद्ध शिकायत थी कि वह अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भोपाल लाकर गोकशी करवाता है। कानूनगो ने सीधे सवाल उठाया कि जब नगर निगम ही इस कत्लखाने का संचालक है, तो किस अफसर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? उन्होंने आदमपुर छावनी के रेंडरिंग प्लांट को भी संदेह के घेरे में लेते हुए कहा कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और अवैध घुसपैठियों को भोपाल से बाहर खदेड़ना होगा।सियासत के केंद्र में 'गोमाता'नगर निगम के एडीसी ने देर रात मौके पर पहुंचकर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन हिंदूवादी संगठन अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कई बड़े अफसरों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।.

भोपाल: झीलों की नगरी भोपाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी मानवता और आस्था को शर्मसार कर दिया है। नगर निगम की अरवलिया स्थित गोशाला में शुक्रवार की आधी रात जो मंजर दिखा, उसने लोगों की रूह कंपा दी। यहां एक-दो नहीं, बल्कि 6 गोवंश मृत अवस्था में पाए गए। आरोप है कि ये बेजुबान भूख के कारण गोबर मिक्स चारा खाने को मजबूर थे। इस घटना ने न केवल हिंदूवादी संगठनों को सड़क पर उतार दिया है, बल्कि स्लॉटर हाउस कांड के साथ जुड़कर इसे एक भयानक रूप दे दिया है।रात के अंधेरे में दफनाने की थी तैयारी!बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को जब गोशाला में लापरवाही की सूचना मिली, तो वे आधी रात को वहां पहुंचे। गोशाला के गेट पर ताला लटका था, लेकिन जब पुलिस की मौजूदगी में ताला तुड़वाया गया, तो अंदर का दृश्य भयावह था। 6 गायें मर चुकी थीं और 4 तड़प रही थीं। आरोप है कि निगम कर्मियों ने गोशाला के अंदर ही एक बड़ा गड्ढा खोद रखा था ताकि इन मृत गायों को चुपचाप दफनाकर सबूत मिटाए जा सकें। गुस्से में आए कार्यकर्ताओं ने दोषियों को सद्बुद्धि देने के लिए वहीं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया।स्लॉटर हाउस कांड: '650 गायों के वध का शक'इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब पिछले दिनों पकड़ी गई स्लॉटर हाउस की गाड़ी में गोमांस होने की पुष्टि हुई। वरिष्ठ पार्षद योगेंद्र सिंह 'गुड्डू' चौहान ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जितनी मात्रा में मांस मिला है, उससे आशंका है कि 650 से अधिक गायों का वध किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एमआईसी ने बिना परिषद की अनुमति के चुपचाप स्लॉटर हाउस को मंजूरी दे दी, जिसके परिणाम आज सामने आ रहे हैं।प्रियंक कानूनगो का बड़ा दावामामले में सबसे सनसनीखेज मोड़ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के बयान से आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि मुख्य आरोपी असलम के विरुद्ध शिकायत थी कि वह अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भोपाल लाकर गोकशी करवाता है। कानूनगो ने सीधे सवाल उठाया कि जब नगर निगम ही इस कत्लखाने का संचालक है, तो किस अफसर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? उन्होंने आदमपुर छावनी के रेंडरिंग प्लांट को भी संदेह के घेरे में लेते हुए कहा कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और अवैध घुसपैठियों को भोपाल से बाहर खदेड़ना होगा।सियासत के केंद्र में 'गोमाता'नगर निगम के एडीसी ने देर रात मौके पर पहुंचकर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन तो

दिया है, लेकिन हिंदूवादी संगठन अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कई बड़े अफसरों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।

**Janta Se Rishta, Online News, 12/01/2026**

## Source: [https://jantaserishta.com/local/haryana/haryana-child-labour-accused-arrested-after-searches-in-200-villages-4513406](https://jantaserishta.com/local/haryana/haryana-child-labour-accused-arrested-after-searches-in-200-villages-4513406)

Haryana : 200 गांवों की तलाशी के बाद बाल मजदूरी के आरोपी को गिरफ्तार किया

SANTOSI TANDI11 जनवरी 2026
Haryana : 200 गांवों...
हरियाणा Haryana : चार महीने की जांच और टेक्निकल सर्विलांस के बाद, हरियाणा GRP ने अनिल को गिरफ्तार किया है, जिस पर बहादुरगढ़ के एक नाबालिग लड़के को लेबर पेन के लिए मजबूर करने का आरोप है, जिसके दौरान चारा काटने वाली मशीन में बच्चे का हाथ कट गया था।यह घटना अगस्त में तब सामने आई जब पुलिस को लड़के की गंभीर चोट के बारे में जानकारी मिली और उसने तुरंत चाइल्ड लेबर एक्ट और कानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी।घटना के समय, बच्चा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की हालत में था और अपने या आरोपी के बारे में साफ जानकारी नहीं दे पा रहा था, जिससे जांच बहुत मुश्किल हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए, रेलवे हरियाणा की पुलिस सुपरिटेंडेंट, निकिता गहलोत ने कई जिलों के साइबर एक्सपर्ट और अनुभवी अधिकारियों की एक स्पेशल जांच टीम बनाई।
जांच टीम ने कैथल, जींद, रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत, नूंह, पलवल और दिल्ली के नरेला, नांगलोई और शाहदरा जैसे इलाकों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़ और बागपत को कवर करते हुए 200 km में फैले 200 से ज़्यादा गांवों में बड़े पैमाने पर तलाशी ली। जांच के दौरान, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने निर्देश दिया कि बच्चे का बयान स्पेशल एक्सपर्ट्स की देखरेख में फिर से रिकॉर्ड किया जाए। उपलब्ध जानकारी के आधार पर, आरोपी अनिल की पहचान हरियाणा एजुकेशन बोर्ड, उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड और ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड से वेरिफाई की गई। अरेस्ट से बचने के लिए महीनों तक बार-बार लोकेशन बदलने के बाद, अनिल को आखिरकार टेक्निकल सर्विलांस और ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से ट्रैक किया गया। उसे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहां वह एक डेयरी में काम कर रहा था और पकड़े जाने से बचने के लिए लगातार जगह बदल रहा था। गिरफ्तारी के बाद, अनिल को कोर्ट में पेश किया गया और बाद में झज्जर जिला जेल भेज दिया गया। इस मुश्किल केस को सुलझाने के लिए GRP द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया गया है।

**Lalluram, Online News, 12/01/2026**

## Source: https://lalluram.com/supaul-sleeper-bus-safety-check-drive/

स्लीपर बसों की सघन जांच से चालकों में मचा हड़कंप, नियम नहीं मानने वालों पर कार्रवाई

amit mishra11 Jan 2026, 01:53 PM

बिहार

जुबैर अंसारी/सुपौल। बिहार सरकार के परिवहन विभाग के निर्देश पर जिला परिवहन कार्यालय, सुपौल द्वारा जिले में संचालित स्लीपर बसों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 (CMVR), AIS-052 एवं AIS-119 के तहत निर्धारित सुरक्षा मानकों के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। यह अभियान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा और राजस्थान में हुई स्लीपर बस दुर्घटना के बाद जारी राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में शुरू किया गया।

जांच में कई खामियां उजागर

मोटरयान निरीक्षकों की टीम ने स्लीपर बसों के बॉडी निर्माण, गैंगवे, सीटों की संख्या व दूरी, आपातकालीन निकास द्वार, फायर एक्सटिंग्विशर, प्रेशर हॉर्न, रिफ्लेक्टिव टेप, VLTD और SLD जैसे सुरक्षा उपकरणों की गहन जांच की। जांच के दौरान कई बसों में आपातकालीन द्वार की कमी, फायर फाइटिंग उपकरणों का अभाव और अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया।

जुर्माना और सख्त चेतावनी

नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अर्थदंड लगाया गया और बस मालिकों को सुधारात्मक निर्देश जारी किए गए। जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

यात्रियों से भी अपील

परिवहन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों पर ध्यान दें और किसी भी कमी की सूचना प्रशासन को दें। आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।

## Source: [https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/bhopal-human-rights-commission-rejects-police-report-demands-new-report-on-allegations-of-settling-rohingyas-8422463](https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/bhopal-human-rights-commission-rejects-police-report-demands-new-report-on-allegations-of-settling-rohingyas-8422463)

भोपाल स्लाटर हाउस केस: मानवाधिकार आयोग ने पुलिस की रिपोर्ट को नकारा, रोहिंग्याओं को बसाने के आरोपों पर मांगी नई रिपोर्ट

राजधानी भोपाल के जिंसी क्षेत्र में स्थित स्लाटर हाउस (बूचड़खाना) अब एक बड़े राष्ट्रीय विवाद के केंद्र में आ गया है। गोकशी के आरोपों में सील किए गए इस परिसर से जुड़े मामले में अब नया मोड़ आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भोपाल में अवैध रूप से करीब 250 रोहिंग्या प्रवासियों को बसाने और उन्हें जाली दस्तावेजों के आधार पर रोजगार दिलाने के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है।
By Dheeraj Belwal Edited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 09:46:12 PM (IST) Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 09:46:12 PM (IST)
HighLights
मानवाधिकार आयोग ने पुलिस की रिपोर्ट को नकारा
रोहिंग्याओं को बसाने के आरोपों पर मांगी नई रिपोर्ट
असम के फर्जी आधार कार्ड बनाकर बसाए रोहिंग्या
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल के जिंसी क्षेत्र में स्थित स्लाटर हाउस (बूचड़खाना) अब एक बड़े राष्ट्रीय विवाद के केंद्र में आ गया है। गोकशी के आरोपों में सील किए गए इस परिसर से जुड़े मामले में अब नया मोड़ आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भोपाल में अवैध रूप से करीब 250 रोहिंग्या प्रवासियों को बसाने और उन्हें जाली दस्तावेजों के आधार पर रोजगार दिलाने के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इस मामले में पुलिस द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट को 'सतही और भ्रामक' बताते हुए खारिज कर दिया है। आयोग ने 30 सितंबर 2025 को मामले का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर, भोपाल को 10 दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।
पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल
30 अक्टूबर 2025 को सौंपी गई पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि शिकायतकर्ता का पता न होने के कारण उससे संपर्क नहीं हो सका और स्थानीय पूछताछ में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि, आयोग ने इस रिपोर्ट को सिरे से नकारते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आयोग को वास्तविक मुद्दे से किया भ्रमित आयोग ने स्पष्ट किया कि एक ओर रिपोर्ट में आरोपों को निराधार बताया गया है, वहीं दूसरी ओर असलम कुरैशी के बयान में यह स्वीकार किया गया है कि मजदूर पश्चिम बंगाल, असम और बिहार जैसे सीमावर्ती राज्यों से लाए जा रहे हैं और उनके रहने की व्यवस्था उसकी निजी संपत्ति में है। जांच अधिकारी ने यह जांचने की जहमत नहीं उठाई कि इन मजदूरों के पास मौजूद पहचान पत्र असली हैं या नहीं और क्या उनकी मूल स्रोत से पुष्टि की गई है। आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता की तलाश के नाम पर पुलिस वास्तविक मुद्दे को 'भ्रमित' करने का प्रयास कर रही है ।
प्रशासनिक भूमिका पर सवाल
जिंसी स्थित यह स्लाटर हाउस सरकारी भूमि पर और सरकारी धन से संचालित है। गोकशी की पुष्टि के बाद अब अवैध प्रवासियों को संरक्षण देने के आरोपों ने जिला प्रशासन और नगर निगम की निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्तमान परिदृश्य में यह सुरक्षा और जनसांख्यिकीय बदलाव का एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। मानवाधिकार आयोग ने अब कलेक्टर और पुलिस आयुक्त, भोपाल को सात दिनों के भीतर एक अतिरिक्त और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
शिकायत के मुख्य बिंदु
जाली दस्तावेज: अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड जैसे फर्जी पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए हैं ।
रोजगार: इन दस्तावेजों के सहारे वे स्लाटर हाउस और मजदूरी के कार्यों में संलिप्त हैं ।
दलित समुदाय पर प्रभाव: शिकायतकर्ता का दावा है कि इस अवैध बसावट से स्थानीय जाटव दलित समुदाय की जनसांख्यिकी और उनकी आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है । आयोग के रिकार्ड में भी 'दलित व्यक्ति' को ही पीड़ित के रूप में दर्शाया गया है ।
पुलिस ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में स्लाटर हाउस की शिकायत करने वाले प्रीत सिंह सिरोही ने बताया कि स्लाटर हाउस की आड़ में भोपाल में बसाए गए रोहिंग्याओं को लेकर हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत की थी। इसे मानव अधिकार आयोग ने पुलिस को जांच के लिए भेजा था, लेकिन भोपाल पुलिस ने उनसे बात किए बिना ही शिकायत को बंद कर दिया। अब इसी स्लाटर हाउस में गोकशी किए जाने की पुष्टि हुई है। यदि पुलिस समय रहते इस मामले में संज्ञान ले लेती तो स्लाटर हाउस में गोकशी की घटना नहीं होती।
हम हिंदुओं के लिए गाय पूजनीय है और हिंदु समाज के लोग स्लाटर में काम करते तो गोकशी की घटना नहीं होती। यहां असलम चमड़े ने 250 अवैध रोहिंग्याओं को भोपाल में पुरानी दालमिल मक्का मस्जिद के पीछे स्थित क्षेत्र में बसाया है, जो नगर निगम के सरकारी पैसे से बने स्लाटर हाउस में गोकशी की

घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब गोकशी का मामला सामने आया है तो फिर से इस मामले की जांच की जानी चाहिए और जो रोहिंग्या भोपाल में बसाए गए हैं उन्हें बाहर निकालना चाहिए।

पुलिस ने मांगा है जबाव

भोपाल पुलिस ने हमें जांच रिपोर्ट भेजी थी उसमें शिकायतकर्ता की तलाश के नाम पर पुलिस ने वास्तविक मुद्दे को 'भ्रमित' करने का प्रयास किया। हमने भोपाल कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जबाव मांगा है। अभी तक हमें जबाव नहीं मिला है- प्रियंक कानूनगो, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग।

## Source: https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/supaul/sleeper-buses-were-examined

यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्लीपर बसों की हुई जांच

सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर किया गया जुर्माना
By RAJEEV KUMAR JHA
Modified date: January 11, 2026 7:19 PM
– सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर किया गया जुर्माना सुपौल. परिवहन विभाग द्वारा स्लीपर बसों के निर्माण एवं संचालन से जुड़े निर्धारित सुरक्षा मानकों के सख्त अनुपालन के निर्देशों के आलोक में जिला परिवहन कार्यालय द्वारा जिले में संचालित सभी स्लीपर बसों की सघन जांच अभियान चलाया गया. यह कार्रवाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा राजस्थान में हुई स्लीपर बस दुर्घटना के बाद की गई. जांच एवं उसकी अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के क्रम में की गई है. जांच के दौरान यह विशेष रूप से देखा गया कि स्लीपर बसों में बॉडी निर्माण, गैंगवे, सीटों की संख्या एवं उनके बीच की दूरी, आपातकालीन निकास द्वार, फायर एक्सटिंग्विशर, प्रेशर हॉर्न, रिफ्लेक्टिव टेप, वीएलटीडी, एसएलडी सहित सभी सुरक्षा उपकरण केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 तथा एआईएस-052 एवं एआईएस-119 के अनुरूप हैं या नहीं. जिला परिवहन पदाधिकारी डॉ संजीव कुमार सज्जन के निर्देश पर मोटरयान निरीक्षकों की टीम ने जिले की स्लीपर बसों की गहन भौतिक जांच की. मिली कई प्रकार की खामियां इस दौरान कई बसों में गंभीर खामियां पाई गईं. इस दौरान बसों में आपातकालीन द्वार का अभाव, फायर फाइटिंग उपकरण की अनुपलब्धता, गैंगवे एवं सीट व्यवस्था में कमी, रिफ्लेक्टिव टेप और अन्य सुरक्षा उपकरणों की कमी देखी गयी. ऐसी बसों को तत्काल सुधारात्मक निर्देश जारी किए गए और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नियमानुसार अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया. नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों से निर्धारित दर पर जुर्माना वसूला गया. बस मालिकों को दी गयी चेतावनी बस मालिकों को कड़ी चेतावनी दी गई कि बिना सुरक्षा मानकों के बस संचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा. जिला परिवहन पदाधिकारी डॉ संजीव कुमार सज्जन ने बताया कि स्लीपर बसों में थोड़ी-सी लापरवाही भी यात्रियों के जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं की रोकथाम और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. बस मालिकों और ऑपरेटरों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों का निर्माण, फिटनेस और संचालन निर्धारित मानकों के अनुसार रखें. किसी भी प्रकार के अनाधिकृत बॉडी निर्माण या अवैध बदलाव से बचें. साथ ही आम जनता से भी अपील की गई है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों पर ध्यान दें. यदि किसी बस में आपातकालीन दरवाजा, फायर एक्सटिंग्विशर, सीट बेल्ट, रिफ्लेक्टिव टेप या अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो, तो इसकी सूचना जिला परिवहन कार्यालय या नजदीकी परिवहन पदाधिकारी को दें.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है